छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च, 2011
(चैत्र-4, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 13 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 04 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री देवजी पटेल के स्थान पर श्री धर्मजीत सिंह अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 17 तारांकित एवं 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पृच्छा

श्री धर्मजीत सिंह एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने कोरबा जिले के एक किसान द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न मिलने पर आत्महत्या किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - स्थगन प्रस्ताव आज प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना दिनांक 24/3/2011 को प्राप्त हुई, जो उनके विचाराधीन है।

माननीय अध्यक्ष ने पुनः इससे संबंधित ध्यानाकर्षण एवं स्थगन प्रस्ताव विचाराधीन होने की भी जानकारी दी एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग का आग्रह किया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा शासन से वक्तवय की मांग की गई।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.17 बजे स्थगित की जाकर 12.27 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा पुनः शासन से स्वमोटो वक्तव्य की मांग की गई।

3. बहिर्गमन

शासन से वक्तव्य न आने के विरोध में श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।

4. औचित्य का प्रश्न एवं व्यवस्था

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी द्वारा कहा गया शब्द चलो बाहर आपत्तिजनक है। इस पर व्यवस्था दी जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय सदस्य श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी द्वारा जिस प्रकार चलो बाहर कहा गया, वह उचित नहीं है। वे वरिष्ठ सदस्य हैं। यह विषय मैं उनके विचार के लिए छोड़ता हूं। विरोध का संसदीय स्थापित तरीका तो प्रतिपक्ष के नेता के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बहिर्गमन होता है।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए) पटल पर रखा।

6. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा भवन लॉबी स्थित कक्ष में आज एवं कल 26 मार्च, 2011 को एस्कॉर्ट हार्ट सेंटर द्वारा निःशुल्क ह्दय एवं मधुमेह परीक्षण शिविर आयोजित है। कृपया माननीय सदस्य प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य शिविर का लाभ उठावें।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 24 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। क्रमांक (1) एवं (2) की सूचनाएं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे। शेष सूचनाओं में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर विभागीय मंत्री का उत्तर पढ़े हुए माने जाएंगे।

(1) डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने रायपुर एवं महासमुंद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया से अनेक व्यक्तियों की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री भजन सिंह निरंकारी (अनुपस्थित), सदस्य ने दुर्ग जिले में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गएः-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
(6)	डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री रविन्द्र चौबे
(9)	श्री रविन्द्र चौबे
(16)	श्री मोहम्मद अकबर
(24)	श्री रविन्द्र चौबे, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री मोहम्मद अकबर

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री भोलाराम साहू

(2) श्री भजन सिंह निरंकारी

(3) श्री देवजी पटेल

(4) श्री महंत रामसुंदर दास

(5) श्री मोहम्मद अकबर

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

डॉ.सुभाऊ कश्यप, सदस्य ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का तृतीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह

(2) श्री डमरुधर पुजारी

(3) श्री राजकमल सिंघानिया

(4) श्री बोधराम कंवर

(5) श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी

11. वर्ष 2011-2012 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 55, समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या 34, खेल और युवक कल्याण विभाग से संबंधित मांग संख्या 43 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-55 पर डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं श्री भोलाराम साहू **मांग संख्या-34 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं श्री भोलाराम साहू **मांग संख्या-43पर** श्री रविन्द्र चौबे एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्री दीपक कुमार पटेल, (श्री महंत रामसुंदर दास-अनुपस्थित), डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, सौरभ सिंह,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

(श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर-अनुपस्थित), श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती सुमित्रा मारकोले, श्री चैतराम साहू, श्रीमती लक्ष्मी बघेल,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सभा की कार्यवाही सायं 7.00 बजे तक निर्धारित किए जाने एवं अंतिम ढ़ाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित किए जाने की घोषणा की।)

श्री दूजराम बौद्ध, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, (श्री जयसिंह अग्रवाल-अनुपस्थित), डॉ.सुभाऊ कश्यप।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

(2) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मांग संख्या 1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 2, वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 6, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 31, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 60, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 12, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 25, जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 32, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित मांग संख्या 71, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या 65 एवं तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान से संबंधित मांग संख्या 48 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-1 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, दूजराम बौद्ध, चैतराम साहू, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, अमरजीत भगत, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-2 पर** श्री अमरजीत भगत **मांग संख्या-6 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, दूजराम बौद्ध, चैतराम साहू, ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत, डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-31 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-12 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, परेश बागबाहरा, चैतराम साहू, ताम्रध्वज साहू, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, दूजराम बौद्ध **मांग संख्या-25 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, चैतराम साहू, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, अमरजीत भगत, डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-32 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-71 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-65 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-48 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
श्री दीपक कुमार पटेल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.शिवकुमार डहरिया,

12. अशासकीय संकल्प

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य - (अनुपस्थित)

(2) सदन का यह मत है कि " प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निस्तारी एवं पेयजल हेतु लगाए गए विद्युत पम्पों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाय।"

श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री सौरभ सिंह, डॉ.शिवकुमार डहरिया, श्री मोहम्मद अकबर, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री रविन्द्र चौबे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया।

माननीय सदस्यों द्वारा मत विभाजन की मांग की गई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

संकल्प पर मत विभाजन हुआ।

संकल्प के पक्ष में 15 और विपक्ष में 36 मत प्राप्त हुए।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(3) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि " चिरमिरी से बिलासपुर तथा बिलासपुर से चिरमिरी तक चलने वाली ट्रेन क्रमांक क्रमशः 58220 एवं 58219 को चिरमिरी से नागपुर तथा नागपुर से चिरमिरी तक चलायी जाय।"

श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री फूलचंद सिंह।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

(4) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य (अनुपस्थित)

(5) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि " छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर से रेनुकुट उत्तरप्रदेश के लिये व्हाया अम्बिकापुर नई रेल लाईन बनायी जाय।"

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 6.48 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 28 मार्च, 2011 (चैत्र 7, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा